

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान की बहरस रूनी गई। प्रार्थी के लायक अभिभाषक का कथन है कि ग्राम मालियों के नयागांव के आधार जमाबन्दी स. 2071-74 जमाबन्दी स. 2075- खाता स नया-पुराना 289-280 के खसरा नम्बर नया-पुराना 1153-2755 रकबा 1.30 है। किरम चाही 3 में प्रार्थी के दर्ज रिकॉर्ड खातेदारी है। वादग्रस्त आराजी की प्रार्थीया खातेदार काश्तकार है तथा राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम बत्तोर खातेदार काश्तकार दर्ज है। प्रार्थीया के कब्जे काश्त, स्वाभित्त्व, आधिपत्य में चली आ रही है। उक्त वर्णित खातेदारी की आराजी के चारो तरफ पिल्लर गाड कर तारों की फेंसिंग कर रखी है। वर्णित आराजी में प्रार्थीया के अलावा अन्य किसी दीगर व्यक्ति का किसी प्रकार का हक हिस्सा संबंध सरोकार व अधिकार नहीं है। उक्त आराजी के उत्तरी तरफ पुराने आराजी खसरा नम्बर 2755 व हाल खसरा नम्बर 1149, 1150, 1152, रकबा 1.62 है। स्थित है। जो अप्रार्थी स. 1 स्कूल संस्था के नाम पर आवंटन होकर बत्तोर गैर खातेदार दर्ज है। अप्रार्थी स. 1 द्वारा प्रार्थीया की उक्त वर्णित आराजी पर नाजायज रूप से दबाव कर रखा हैं जिससे मौके पर आराजी का सीमाज्ञान का विवाद हमेशा बना रहता है। खसरा नम्बर 2755 है जिसका हाल खसरा नम्बर 1153 है व रकबा 1.30 है। है लेकिन प्रार्थीया के राजस्व नक्शे में तरमीम कम होने की वजह से अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीया की आराजी पर नाजायज रूप से दबाव कर रखा है। अतः प्रार्थीया की उक्त वर्णित आराजी की मौके पर स्थायी पत्थरगढी पुराने नक्शे संवत 2027 क अनुसार किया जाना न्यायोचित है। अतः पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार का है। प्रकरण में अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। प्राप्त जवाब प्रतिवादी स. 1 का प्राप्त हुआ है। प्रतिवादी स. 1 प्रधानाध्यापक की और से श्री मो. सलीम शारिरीक शिक्षक द्वारा आदेशिका पर सहमति जिसमें उन्हे पत्थरगढी करने में कोई आपत्ति नहीं है। पेरोकार सरकार ने भी आदेशिका में सहमति दी कि उन्हे पत्थरगढी में कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सावर प्रार्थीद्वारा नियमानुसार शुल्क जमा कराये जाने पर कार्मिकों की टीम गठित करके पत्थरगढी की कार्यवाही करें। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करें। आदेश मजमें आम प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प सदारी में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी

